वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2 प्रपत्र संख्या-43 ए (1) (प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए) धनराशि जमा करने का चालान फार्म

	उपकोषागार/खैंक का नाम व शाखा	
1.	जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
	संस्था के नाम से धनराशि जमा की	
	जारही है जसका नाम	
9	'पता	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
۵.	401	
3.	पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या	
	(यदि आवश्यक हो)	
4.	जमा की ज रहि स्वाप्ति है।	
A.	जमा की जा उसी धनराशि का पूर्ण विवरण	f. # 9 9 9 0 0 9 P T 9 # A A A A A
	(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग	
	क पक्ष में जमा भी जा रही है।)	* .
5.	चालान की गाकल राशि।	
6.	चलान की विश्वस राशि	*******************
7.	लेखाशीर्षा अपूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की	
	मृहर:	
8.		
O.	लेखा-शिर्षक का 13 डिजिट कोड	
	मुख्य लेखाः ेीकं ह्य मुख्य-शीर्षक लघ्-शीर्षक	उप-शीर्षक व्यौरेबार-श्वेषंक धनराशि (अकों थे)
		उप-शाषक व्यक्तिस्वर-प्रश्निक धनराशि (अकों भें)
		· Occupantion i Accidentalism
धनग	शि (शब्दों हैं)	
यगरा	रिस् (स्वाब्द्धाः स्व	***************************************
		योग
चालान	में लेखाशीर्थक के पूर्विक करने वाले	
विमागीय अधिकारी के व्यव्यव्य कृत्य सहित		
		जमाकर्ता का नाम व हरताकार
	The second of th	
	केवल उपकोषागार/	बैंक के प्रयोगार्थ
चलान	संख्या	The state of the s
1 -11 1	A Season State Character Season Control of the Cont	
		अंकों में रु०
1	दिगांक :	शब्दों में रु०
	тто по притополительной вереней в населения в подать по подать по подать по подать по подать по подать по пода Постать по подать по	A SET ACTIVITY TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY

प्राप्त किया प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषानार/ बीक की मन्य स्थित विवरण

: रोकड़ (विवरण सहित)
नोट/सिक्के (धनराशि रूपयों में)

1000 x
500 x
100 x
50 x
20 x
10 x
5 x
2 x
1 x
चेक (पूर्ण विवरण के साथ)

टिप्पणी:--

- 1. जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड—4 अथवा लोक लेखा खण्ड—2 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड—2 (लोक लेखा) तथा खण्ड—4 (राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तरों के अनरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
- 2. जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।
- 3. यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रुपये पर पूर्णिकत कर धनराशि जमा की जायेगी।

पी० एस० यू० पी० ए०पी० 05 कोषागार—(1543)—2004—2,00,000 (आफसेट)।